अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भुमि विवाद अपील वाद संख्या 348 / 2013

विलट यादव –– अपीलार्थी

वनाम

दुर्गाप्रसाद यादवं एवं अन्य –– रेस्पोण्डेन्ट्स

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, निर्मली (सुपौल) के आदेश दिनांक: 15.06.2013 ई० अंदर वाद संख्या–115 / 12–13 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का नामांकन विन्दु पर सुना। अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया ।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद में हम अपीलार्थी एवं रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष एक ही खानदान के संयुक्त परिवार के सदस्य है। अपीलार्थी का कथन है कि परिवार में आज तक कोई लिखित एवं मौखिक बॅटवारा नहीं हुआ है जबकि रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष का कहना है कि मौखिक रूप से दिनांक 01.06.75 को परिवार में बॅटवारा हो गया एवं उसी के मुताबिक अपने अपने हिस्से की जमीन पर हकदार एवं दखलकार हो गये लेकिन कोई कागजात अभिलेख पर बॅटवारा से संबंधित संधारित नहीं है, जबकि निम्नन्यायालय के आदेश के परिशीलन से ज्ञात होता है कि रेस्पोण्डेन्ट / वादी कथन किए है कि वर्ष 1975 ई0 का एक खिस्टा पंचनामा प्रस्तुत किए हैं, जिसमें दोनों भाईयों के बीच अंकुर बॅटवारा की बात कही गई है। अपीलार्थी / प्रतिवादी के नाम खरीदगी केवाला 1975 ई0 के पहले का है जो बॅटवारा के पूर्व का होना प्रतीत होता है।

मुताबिक बॅटवारा सुदा एराजी वो प्रस्तुत वाद में विवादी जमीन से संबंधित अंचलाधिकारी, मरौना के द्वारा की गई कार्रवाई एवं निम्नन्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मरौना द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 15.06.13

सही, दुरूस्त नियम एवं विधान के अनुकूल परिलक्षित होता है, जो नैसर्गिक न्याय से पुष्ट है। अतः प्रस्तुत अपील वाद को नामांकन की अवस्था में वाद के गुण एवं दोष को देखते हुए खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा